रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2015/माघ 9, 1936
No. 36] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29 2015/MAGHA 9, 1936

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
(ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स)
(प्रधान कार्यालय, गुड़गांव)

अधिसूचना
गुड़गांव, 18 दिसंबर, 2014

सं. 3947.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्द्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स अधिकारी कर्मचारी (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. (1) इन विनियमों का नाम ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2013 है ।

   (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 के विनियम 50 के उप विनियम (1) में शब्दों ''दो वर्ष'' की जगह शब्द ''एक वर्ष'' प्रतिस्थापित किया जाए ।

3. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 के विनियम 50 के उप विनियम (6) में शब्दों ''दो वर्ष'' की जगह शब्द ''एक वर्ष'' प्रतिस्थापित किया जाए ।

अतुल गौतम, महाप्रबंधक (मा.सं.वि.)

[विज्ञापन III/4/असा./128/14]

टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 29.09.1995 की अधिसूचना सं. 3918 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of FIinancial Services)
(Oriental Bank of Commerce)
(HEAD OFFICE, GURGAON)
NOTIFICATION

Gurgaon the 18th December 18, 2014

No. 3947.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Oriental Bank of Commerce (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:-

1. (1) These regulations may be called Oriental Bank of Commerce (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2013.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-regulation (1) of regulation 50 of the Oriental Bank of Commerce (Employees') Pension Regulation, 1995 for the words "two years", the words "one year" shall be substituted.

3. In regulation 50 of the Oriental Bank of Commerce (Employees') Pension Regulations, 1995, in sub-regulation (6), for the words "two years", the words "one year" shall be substituted.

ATUL GAUTAM, Genaral Manager (HRD)
[ADVT. III/4/Exty./128/14]

Footnote: The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide notification number 3918 dated 29.09.1995 published in the Gazette of India.

अधिसूचना

गुड़गांव, 18 दिसंबर, 2014

सं. 3948.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्द्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान में नौकरी की स्वीकृति) विनियम, 2000 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात :–

1. (1) इन विनियमों का नाम ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान में नौकरी की स्वीकृति) (संशोधन) विनियम, 2013 है ।

   (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान में नौकरी स्वीकारना) विनियम 2000 के विनियम 4 के उप विनियम (1) में शब्दों ''दो वर्ष'' की जगह शब्द ''एक वर्ष'' प्रतिस्थापित किया जाए।

अतुल गौतम, महाप्रबंधक (मा.सं.वि.)

[विज्ञापन III/4/असा./128/14]

टिप्पणी: मूल विनियम भारत के राजपत्र दिनांक 25.11.2000 की अधिसूचना सं. 3928 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

NOTIFICATION

Gurgaon, December 18, 2014

No. 3948.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government,

hereby makes the following regulations further to amend the Oriental Bank of Commerce Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations, 2000, namely:-

1. (1) These regulations may be called Oriental Bank of Commerce Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Amendment Regulations, 2013.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In regulation 4 of the Oriental Bank of Commerce Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations, 2000, in sub-regulation (1), for the words "two years", the words "one year" shall be substituted.

ATUL GAUTAM, General Manager(HRD)

[ADVT. III/4/Exty./128/14]

Footnote: The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide notification number 3928 published in the Gazette of India, Part III - Section 4 dated 25.11.2000.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.